

तारीख
हुक्म

17/1/2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गिरजा एस सुमेरव

31-1-2022

पुत्रावली पेश है। कर्णील प्रार्थी उपरो
 को देह किया। प्रकरण आगे नहीं चलाना
 पड़े। अतः प्रार्थी कर्णील के कोर्ट के
 में प्रकरण कार्यवाही आरम्भ करी जाती
 है। कोर्टल सुमा हुका कर न कर्णील
 दाखिल करता है। उपखण्ड अधिकारी
 बांदीकुई

Not press
 मनीश
 31-1-22

